

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक-13/03/2019

विषय :- 132 K.V. D/C जसीडीह-मधुपुर ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 19.46863 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-115 दिनांक-28.01.2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-421 दिनांक-15.02.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं०-F.N.-11-42/2017-FC दि०-29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में विषयक प्रस्ताव में प्रतिवेदित उल्लंघन के संबंध में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/3/19
(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-06/2019- 1069 व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

13/3/19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-06/2019-

1069 राँची, दिनांक- 13/03/2019
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/विद्युत अधीक्षण अभियंता, डावर ग्राम ग्रिड, जसीडीह, देवघर-झारखण्ड-814142 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/19
विशेष कार्य पदाधिकारी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 19.46863 ha of Forest Land for Construction of JUSNL 132 K.V D/C Jasidih – Madhupur Transmission Line (NIT-217).

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 19.46863 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1069 dated 13.03.2019.

Signature: 

Name & Designation: Sunil Kumar
(O.S.D)

Forest, Environment & Climate
Change Department,
Jharkhand Ranchi.

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date: 13.03.2019

Place: Ranchi

(Official Seal)